रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अगस्त 7—अगस्त 13, 2011, शनिवार/श्रावण 16—श्रावण 22, 1933
No. 17] NEW DELHI, AUGUST 7—AUGUST 13, 2011, SATURDAY/SRAVANA 16—SRAVANA 22, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2011

का.नि.आ. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सैनिक इंजीनियर सेवा (पर्यवेक्षक बैरक/भंडार अनौद्योगिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2008 को जहां तक उनका संबंध भंडारी श्रेणी 1 और भंडारी श्रेणी 2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियर सेवा, भंडारी श्रेणी 1 और भंडारी श्रेणी 2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा, भंडारी श्रेणी 1 और भंडारी श्रेणी 2 पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भंडारी श्रेणी-1	336* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित/ अनौद्योगिक अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में भंडारी श्रेणी 1, जिसने भंडारी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता

	(11)
	सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन आफिसर :– (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. धन 1900 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; या (ख) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेट या समतुल्य उत्तीर्ण; **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अपर मुख्य इंजीनियर —अध्यक्ष 2. कार्यकारी इंजीनियर/समकक्ष श्रेणी का अन्य आफिसर —सदस्य 3. सिविलियन राजपत्रित अधिकारी/कमीशन प्राप्त आफिसर जो विभाग से संबंधित नहीं है । —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भंडारी श्रेणी-2	416* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनौद्योगिक अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच । **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

(6)
टिप्पण 2 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ी जातियों की और कतिपय अन्य वर्गों की दशा में शिथिल की जा सकती है यह शिथिलीकरण इन प्रवर्गों को अनुज्ञेय अन्य आयु-सीमा में अन्य शिथिलता के साथ संचित रूप में उपलब्ध है । **टिप्पण 3 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 4 :** रोजगार कार्यालयों/रोजगार समाचार में विज्ञापन/अन्य विज्ञापन माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है या रोजगार समाचार में विज्ञापन/अन्य विज्ञापन माध्यम में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख दी गई है ।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में दो वर्ष

(10)	(11)
(i) 80% सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 20% प्रतिनियुक्ति सह भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के अनुसार पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिको के लिए) : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने

(10)	(11)
जिसके न हो सकने पर आमेलन दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती ।	वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर रुपये 5200-20,200 में 1900 रु. के ग्रेड वेतन में विविलियन कर्मचारी बने रहने दिया जा सकता है ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अधीक्षण अभियन्ता —अध्यक्ष 2. कार्यपालक अभियन्ता —सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा-मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. बी/76011/भण्डारी/ग्रेड 'सी'/सी.एस.सी.सी./आर.आर./488/रक्षा (नियुक्तियाँ)/2011]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd August, 2011

S.R.O. 58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Supervisor Barrack/Stores grade 'C' Non-industrial posts), Recruitment Rules, 2008 in so far as they relate to the post of Storekeeper Grade-I and Storekeeper Grade-II, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules, regulating the method of recruitment to the post of Storekeeper Grade-I and Storekeeper Grade-II in the Military Engineer Services, Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services Storekeeper Grade-I and Storekeeper Grade-II Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or scales of pay.—The number of the said posts, their classifications and pay band and grade pay or scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Store Keeper Grade-I	336* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade pay Rs. 2400	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Matriculate pass or-equivalent from a recognized Board or University, Storekeepers Grade-II in the Pay Band -1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay Rs. 1900 who have passed Storekeeper examination and have eight years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** **Officers under the Central Government/State Government :—** (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

	(11)
	(ii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment in the Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; or State Government. (b) possessing the educational qualification of Matriculate or equivalent pass from a recognized Board or University. **Note 1 :** The Departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation consisting of :— 1. Additional Chief Engineer —Chairman 2. Executive Engineer/other officer of equivalent rank —Member 3. Civilian Gazetted Officer/Comissioned Officer not connected with the department —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store Keeper Grade-II	416* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 to 27 years of age. **Note 1 :** Relaxable for government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Castes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. This relaxation is available cumulatively with any other admissible relaxation in age limit for these categories. **Note 3 :** The crucial date for determining the age limit shall be the

(6)
closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Predesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 4 :** In respect of the posts, appointment to which are made through Employment Exchanges/ Advertisements in "Employment News"/other advertising media, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names or last date of receipt of applications given in the "Employment News"/other advertising media.

(7)	(8)	(9)
Matriculate pass or equivalent from a recognized Board or University.	Not applicable	Two years for direct recruits

(10)	(11)
(i) 80% by direct recruitment. (ii) 20% by deputation-cum-re-employment (for Ex-servicemen), in accordance with Ex-servicemen (Re-employment in Central Services and Posts) Rules, 1979, failing which by absorption failing both by direct recruitment.	**Deputation/re-employment (for Ex-servicemen) :** The Armed Forces personnel including combatants from corps of Engineers due to retire or who are to be transferred to reserve with a period of one year and have the requisite qualifications as prescribed under column (7) shall also be considered. Such persons would be given deputation up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be re-employed as civilian employees in the entry grade of Rs. 5200–20200 with Grade Pay of Rs. 1900.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation consisting of :— 1. Superintending Engineer —Chairman 2. Executive Engineer —Member 3. Under Secretary, Ministry of Defence —Member	Not applicable.

[F. No. B/76011/Storekeeper/Gde 'C'/RR/CSCC/488/D(Apptts)/2011]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2011

का.नि.आ. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद के भर्ती नियम, 1998 को, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'ख' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक सहायक 'ख'	702* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा - 75% (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ग्रेड वेतन 1900 रुपए में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द से जिन्होंने बारहवीं कक्षा या समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा --25%; परन्तु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति समूह-II में किसी वर्ष में प्रशासनिक सहायक 'ख' की श्रेणी में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से अधिक हो । संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति समूह II श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले प्रशासनिक सहायक 'क' से प्रोन्नति ।	**प्रोन्नति :** प्रशासनिक सहायक 'क' जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा इस ग्रेड में संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :- 1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य 3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04]

एस. के. देब, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th July, 2011

S.R.O. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Assistant 'B' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Assistant 'B'	702* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) By promotion on the basis of Selection - 75% (ii) By promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1900 and who possess 12th Class pass	**Promotion :** Administrative Assistant 'A' with eight years' regular service rendered in the grade in the respective Departmental Promotion Committee-II Group.

(10)	(11)
or equivalent qualifications and have rendered 5 years' regular service in the grade, failing which by promotion on the basis of selection - 25%; Provided that if the total number of vacancies to be filled in a year in the grade of Administrative Assistant 'B' in the respective DPC-II Group is less than 8, no LDCE shall be held for the group in that year. Promotion from Administrative Assistant 'A' with eight years regular service rendered in the grade in the respective DP/C-II Group.	**Note :** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualiyfing service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion : 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman 2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Members 3. An Officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/ Establishment —Member	Not applicable.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst. 'B'/C/P/04]
S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2011

का.नि.आ. 60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय सिविलियन स्टाफ आफिसर (आर्डनेंस) (प्रशासन), समूह 'क' भर्ती, नियम, 2005 जो भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 तारीख 17 सितम्बर, 2005 में का.नि.आ. 110 तारीख 24 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सिविलियन स्टाफ आफिसर (आर्डनेंस) (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना आर्डनेंस कोर, सिविलियन स्टाफ आफिसर (आर्डनेंस) (प्रशासन), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिविलियन स्टाफ आफिसर (आर्डनेंस) (प्रशासन)	8* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
100% प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 में ऐसे (आर्डनेंस) आफिसर सिविलियन (प्रशासन) जिन्होंने श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक ये या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,

(11)
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (ओ/एन) रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. अपर महानिदेशक, आर्डनेंस सेवाएं —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए/24822/आर आर/सी एस ओ (ए)/ओ एस-8 डी/484/र. (नि.)]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th July, 2011

S.R.O. 60.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence the Army Ordnance Corps, Civilian Staff Officer (Ordnance) (Administration) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005, published vide S.R.O. 110, dated 24 August, 2005 in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 17th September, 2005 by the Government of India, Ministry of Defence except as respect things done or omitted to be done before such supersesssion, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Staff Officer (Ordnance) (Administration) Army Ordnance Corps, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Ordnance Corps, Civilian Staff Officer (Ordnance) (Administration) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification pay band and grade pay or pay scale attached therto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Civilian Staff Officer (Ordnance) (Administration)	8* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600–39100 plus (Grade Pay Rs. 6600)	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
100% Promotion	**Promotion :** Ordnance Officer Civilian (Administration) in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4600 with seven years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	(11)
	Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment (13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (O/N), Ministry of Defence —Member 3. Additional Director General Ordnance Services —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. A/24822/RR/CSO(A)/OS-8D/484/D(Apptts)]

S.S.S. SARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.